डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री हेमराज गुर्जर ,आर.ए.एस

प्रकाश बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 224 / 2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.04, 1045 रकवा 0.05, 1058 रकवा 0.02 किता 4 कुल रकवा 0.18 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर खसरा न. 1058 रकवा 0.02 जिस पर रास्ता इण्टरलॉक निर्माण किया हुआ है तथा खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.03, 1045 रकवा 0.05 में कच्चा रास्ता निकला हुआ है, जो सार्वजनिक उपयोग के काम आ रहा है, को छोडकर शेष रकवा पर वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा तहसीलदार नदबई को आदेशित है कि मौके पर जाकर उक्त रकवा की नापकर जिसमें मौके पर रास्ता चालू है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करे व शेष रकवा पर वादीगण की खातेदारी के इन्द्राज किये जावें तथा तहसीलदार नदबई पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15/01/2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— सहायक कलेक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

1'. प्रकाश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
1. चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. रमेश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
3. सुरेश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई.

प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 224 / 2014
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 15/01/2021

1. प्रकाश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
3. रमेश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
4. सुरेश पुत्र कल्ला जाति पुजारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई.

प्रतिवादी

उपस्थित श्री ओमप्रकाश पाराशर एडo

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादीगण एवं प्रतिवादी में से ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा लडने योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.04, 1045 रकवा 0.05, 1058 रकवा 0.02 किता 4 रकवा 0.18 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह कि दावा की वर्णित मद सं. 2 की आराजी जो कि साबिक खसरा न. से बना है। जिसका आवंटन वादीगण को दिनांक को वाके ग्राम लखनपुर में हुआ तथा आवंटन के समय से ही उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जे में है। तथा वादी उक्त आराजीयात पर करीब 25–30 साल से निर्विरोध काबिज होकर

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

काश्त करता हुआ चला आ रहा है। नियमानुसार वादी को गैर खातेदारान से खातेदारान दस साल के कब्जे के बाद कर देना चाहिये था, लेकिन वादीगण का हाल रिकॉर्ड में गैरखातेदारान दर्ज चल रहा है। तथा वादी द्वारा उक्त आराजी में रवि की फसल में लाहा की फसल बोई थी तथा अब मौके पर खरीफ चरी बोई है, जो मौके पर खडी हुई है।

4. यह कि यह कि वादी ने आराजी खसरा नम्बरान की क्रेडिट कार्ड की फाईल तैयार दिनांक 21.08.2014 को कराकर हल्का पटवारी लखनपुर को दी तब हल्का पटवारी द्वारा कहा गया कि गैरखातेदारी से खातेदारी के इन्द्राज कराओ तभी क्रेडिट कार्ड कार्यवाही की जावेगी। इसलिये दावा न्यायालय श्रीमान में बिना देरी के प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को यह धमकी दी है कि वह या तो उक्त रकवा को गैरखातेदार से खातेदारान करवा ले नहीं तो हम इसे सिवायचक घोषित करवा देंगे। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर प्रतिवादी अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। इसलिये वादी प्रतिवादी को जरिये हुक्ततइम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। वह वादी को गैरखातेदारी की आराजीयात में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत न करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की मौके की स्थिति बनाये रखें।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत योम देने धमकी दिनांक 22.08.2014 को प्रतिवादी द्वारा वादी को गैर खातेदारी की आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने से पैदा हुई है। दावा अंदर म्यांद पेश है।

7. यह कि दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये दफा 80 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है और यदि नोटिस दिया जाता है तो दावा करने की मंशा ही समाप्त हो जावेगी इसलिये प्रार्थना पत्र 80(2) जा. दी. का अलग से वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है।

8. यह कि विवादित आराजी व पक्षकरान मुकदमा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। जिससे अदालत श्रीमान को सुनवाई के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

9. यह कि कोर्ट फीस तलवाना हस्ब कायदा चस्पा करके पेश है।

10. अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वर्णित मद सं. 2 की आराजीयात खसरा न. 1043, [illegible] 4 रकवा 0.18 को गैरखातेदारान को कलमजन किया जाकर [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एवं हाल इन्द्राज [illegible] किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाईदावामी डिक्री से पाबन्द किया ज[illegible] कि वह वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में मदाखलत मजामहतन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। वादीगण की ओर से विद्वान वकील ओमप्रकाश पाराशर एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। जिनके द्वारा अपना जबाव दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :—

1. वाद पत्र का बिन्दु सं. 1 नाइल्मी है, वादी स्वयं सिद्ध करें।
2. वाद पत्र का बिन्दु सं. 2 रिकॉर्ड की सीमा तक स्वीकार है, शेष कथन वादी स्वयं सिद्ध करे।
3. वाद पत्र का बिन्दु सं. 3 स्वीकार नहीं है, वादपत्र के बिन्दु सं. 3 में आवंटित खसरा न. व किस दिनांक को आवंटन किया गया, दर्ज नहीं है, जिससे उक्त बिन्दु का जबाब नहीं दिया जा सकता है।
4. वाद पत्र का बिन्दु सं. 4 स्वीकार नहीं है, वादी को गैरखातेदार इन्द्राज की जानकारी पूर्व से ही थी।
5. वाद पत्र का बिन्दु सं. 5 स्वीकार नहीं है।
6. वाद पत्र का बिन्दु सं. 6 स्वीकार नहीं है।
7. वाद पत्र का बिन्दु सं. 7 स्वीकार नहीं है, दावा अर्जेन्ट नेचर का नहीं है, धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना जरूरी था। जो नहीं दिया गया।
8. वाद पत्र का बिन्दु सं. 8 व 9 कानूनी है।
9. अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दावा वादी साबित नहीं होने से काबिले खारिज है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज करना फरमावें।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम कि गई। जो इस प्रकार है।

1. आया वादीगण वाद पत्र की मंद स. 2 की आराजीयात ख0न0 1043, 1044, 1045, 1058 पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
   — जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण ने आंवटित खसरा नम्बर किस दिनांक को आवंटन किया गया।
   —जिम्मेप्रतिवादी
3. आया प्रति धारा 80 सीपीसी जा0दी0 के तहत नोटिस नही दिया गया है। इसलिए दावा काबिल खारिज के है।
   — जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2066—69 वाके ग्राम [illegible] नक्शा [illegible] क्षैत्रफल संबत 2060 प्रदर्श—2, नकल जमाबंदी संबत 2070—73 प्रदर्श—3, नकल जमाबंदी संबत 2060 आधार वर्ष प्रदर्श—4, नकल जमाबंदी संबत 2052-[illegible] वाके ग्रमा लखनपुर प्रदर्श—5, नकल जमाबंदी संबत 2012—14 वाके ग्राम लाखपनुर प्रदर्श — 6, नकल जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला भरतपुर

संवत 2011 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2023 प्रदर्श–8 वाके ग्राम लखनपुर, नकल जमाबन्दी संवत 2020–23 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श–9, नकल जमाबन्दी संवत 2011–14 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श–10, नकल जमाबंन्दी संवत 2025 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श– 10, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2052–55 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श– 11 व 14, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2056–59 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श– 12व 15, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2048–51 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श– 16, नकल जमाबंन्दी संवत 2025 वाके ग्राम लखनपुर प्रदर्श– 17 तहसील नदबई के पेश किये गये, तथा मौखिक व्यान के रूप में चिम्मन पुत्र कल्ला जाति पुजारी तहसील नदबई व पुष्कर पुत्र धनीराम जाति पुारी निवासी लखनपुर तहसील नदबई के पेया किये गये। उक्त गवाह से प्रतिवादी पैराकार सरकार द्वारा जिरह की गई।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये जाने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी मौखिक ब्यान पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकल किया गया। वादीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजी ख0न0 1043, 1044, 1045, 1058 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात वादीगण को सन 1993 में आंवटन हुई थी। उसी समय से वादीगण काबिज होकर काश्त करते हुऐ चले आ रहे है, परन्तु वादी के इन्द्राजात गैर खातेदारी के रूप में आंदिनांक तक चले आ रहे है, तथा मेरे द्वारा साबिक रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संबत हाल नकल जमाबंदी आधार वर्ष संबत 2060, नकल जमाबंदी संबत 2052–55, नकल जमाबंदी संबत 2012–13, नकल जमाबंदी संबत 2011, नकल जमाबंदी संबत 2020–23, एवं आदिनांक तक का साविक रिकॉर्ड पेश किया गया है। जिसमें उक्त विवादित आराजीयात पर गैरखातेदारी का अंकन बदस्तूर चला आ रहा है। इस प्रकार संबत 2011 से लेकर अब तक गैरखातेदारी के रूप में दर्ज चले आ रहे हैं, तथा मौके पर मेरा कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है, तथा उक्त विवादित आराजीयात पर मौके पर फसल के रूप में उपयोग ली जा रही है,तथा मौखिक बयान के रूप में भी चिम्मन व पुष्कर के बयान भी दर्ज किये गये। जिनसे गवाह की पुष्टि करता है कि उक्त विवादित आराजीयात पर वादी 25–30 साल से निर्विरोध काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। नियम के अनुसार वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदार 10 साल के कब्जे के बाद कर देना चाहिये, लेकिन इसके रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज चला आ रहा है, तथा मेरे कब्जे व काश्त के रूप में है। इसलिये वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

गैरखातेदारी इन्द्राजों को कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजीयात वादपत्र में बाबत् अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा कही भी अंकित नहीं किया गया है कि कौनसा खसरा न. व किस दिनांक को आवंटन किया गया है, न ही वादीगण द्वारा धारा 80(1) सीपीसी के तहत नोटिस दिया गया है। वर्तमान में खसरा न. 1058 रकवा 0.02 में रास्ता नरेगा के रूप में बनाया हुआ है, तथा खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.03, 1045 रकवा 0.05 में कच्चा रास्ता निकला हुआ है, उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग में काम आ रहा है, तथा मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिये वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है।

1. आया वादीगण वाद पत्र की मंद स. 2 की आराजीयात ख0न0 1043, 1044, 1045, 1058 पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था।वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2066–69 बाके ग्राम लखनपुर पेश की गई जिसमें उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण की गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हो रही है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 में हाल व गत खसरा नम्बरानों का मिलान हो रहा है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2070–73 बाके ग्राम लखनपुर पर वादीगण की गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल आधार वर्ष सवत 2060 बाके ग्राम लखनपुर पर बादीगण की उक्त खसरा नम्बरान पर गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2052–55 में चिम्मन पुत्र कल्लाराम कौम पुजारी साकिन खातेदार आवंटन दिनांक 15.07. 1989 तथा इन्तकाल संख्या 760 दिनांक 26.01.1999 से कल्ला के बजाय प्रकाश,चिम्मनलाल, रमेश, सुरेश पिसरान कल्ला का नाम वाहिस्सा बराबर दर्ज हुआ है। नकल जमाबंदी संबत 2012–14 में वादीगण के पिता कल्ला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संबत 2020–23 में भी वादीगण के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संबत 2011–14 में भी वादीगण के पिता के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है तथा नकल जमाबंदी संबत 2020 –23 में भी वादीगण के पिता कल्ला पुत्र मनोहर बाबाजी साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है नकल जमाबंदी संबत 2025 में भी कल्लाराम पुत्र मनोहर जाति पुजारी साकिन देह खातेदार के रूप में अंकन हो रहा है, तथा नकल खसरा गिरदावरी संबत 2052–55 में वादीगण के पिता कल्ला पुत्र मनोहरी पुजारी साकिन देह गैरखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है तथा नकल खसरा गिरदावरी संबत 2056–59 में भी वादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gunjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
रपबड़ जिला भरतपुर

गैरखातेदारी के रूप में इन्द्राज हैं। नकल खसरा गिरदावरी संबत 2048–51 में कल्ला पुत्र मनोहर कौम पुजारी गैरखातेदार के रूप में इन्द्राज है। नकल खसरा गिरदावरी 2048–51 में वादीगण के पिता के काश्त का अंकन है। नकल जमाबंदी संबत 2025 में भी कल्ला पुत्र मनोहरी कोम पुजारी साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, तथा मौखिक बयान के रूप में चिम्मन व पुष्कर के बयान भी पेश किये गये। जिससे वादीगण के वादपत्र का समर्थन करता है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजीयात संबत 2011 से वादीगण के पिता व वादीगण के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज चले आ रहे हैं, तथा कब्जेकाश्त में भी बताई गई है, परन्तु तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तु मौका रिपोर्ट में एवं अपनी बहस में भी यह भी तर्क दिया कि खसरा न. 1043 व 1044, 1045, 1058 वाके ग्राम लखनपुर में वादीगण प्रकाश, चिम्मन , रमेश, सुरेश पिसरान कल्ला जाति वैरागी वाके ग्राम लखनपुर गैरखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन खसरा न. 1058 रकवा 0.02 में रास्ता इण्टरलॉक खरंजा नरेगा द्वारा बनाया हुआ है तथा खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.03 खसरा न. 1045 रकवा 0.05 में कच्चा रास्ता निकला हुआ है। जो उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रहा है, तथा मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कृषि कार्य भी नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को आंशिक रूप से शेष रकवा की खातेदारी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

2. आया वादीगण ने आंवटित खसरा नम्बर किस दिनांक को आवंटन किया गया। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटित प्रति कार्यालय उपजिलाधीश जिला भरतपुर आवंटित किया गया प्रमाण पत्र कल्ला पुत्र मनोहर निवासी लखनपुर पेश की गई। जिस पर दिनांक 21.05.1993 को जारी किया गया है। जिससे साबित है कि उक्त विवादित आराजी आवंटन के रूप में दिनांक 21.05.1993 को क्रमांक 999 से वादीगण के पिता को आवंटित की गई। इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ वादीगण के पक्ष में साबित होती है।

3. आया प्रति धारा 80 सीपीसी जा0दी0 के तहत नोटिस नही झ्यिा गया है। इसलिए दावा काबिल खारिज के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा धारा 80 सीपीसी के नोटिस नहीं देने हेतु तर्क दिया गया, परन्तु वादीगण द्वारा दावा पेश करते समय नोटिस अंतर्गत धारा 80(2) का नोटिस दावा करने से पूर्व दिया जाना आवश्यक था, परन्तु प्रकरण अर्जेन्ट नेचर होने के कारण दावे के साथ ही पेश किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.04, 1045 रकवा 0.05, 1058 रकवा 0.02 किता 4 कुल रकवा 0.18 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर खसरा न. 1058 रकवा 0.02 जिस पर रास्ता इण्टरलॉक निर्माण किया हुआ है तथा खसरा न. 1043 रकवा 0.08, 1044 रकवा 0.03, 1045 रकवा 0.05 में कच्चा रास्ता निकला हुआ है, जो सार्वजनिक उपयोग के काम आ रहा है, को छोडकर शेष रकवा पर वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा तहसीलदार नदबई को आदेशित है कि मौके पर जाकर उक्त रकवा की नापकर जिसमें मौके पर रास्ता चालू है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करे व शेष रकवा पर वादीगण की खातेदारी के इन्द्राज किये जावें तथा तहसीलदार नदबई पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested